



वित्त मंत्रालय

आठ राज्यों की विधानसभाओं ने एक माह से भी कम अवधि में राज्य जीएसटी अधिनियम पारित किया

Posted On: 04 MAY 2017 7:51PM by PIB Delhi

आठ राज्यों की विधानसभाओं ने अपने यहां एक माह से भी कम अवधि में राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम को पारित कर दिया है। तेलंगाना की विधानसभा ने 09 अप्रैल 2017 को, बिहार विधानसभा ने 24 अप्रैल 2017 को, राजस्थान विधानसभा ने 26 अप्रैल 2017 को और झारखंड विधानसभा ने 27 अप्रैल, 2017 को राज्य जीएसटी विधेयक पारित कर दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 28 अप्रैल 2017 को, उत्तराखंड विधानसभा ने 02 मई 2017 को और मध्य प्रदेश विधानसभा ने 03 मई 2017 को राज्य जीएसटी विधेयक पारित कर दिया। वहीं, हरियाणा विधानसभा ने आज अर्थात् 04 मई 2017 को राज्य जीएसटी विधेयक पारित किया।

इससे पहले जीएसटी परिषद ने 16 मार्च 2017 को हुई अपनी 12वीं बैठक में मॉडल राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) विधेयक को मंजूरी दी थी। शेष राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों (विधानसभा वाले केन्द्र शासित प्रदेश) की विधानसभाओं द्वारा इस माह की समाप्ति से पहले अपने यहां राज्य जीएसटी विधेयक को पारित कर दिये जाने की संभावना है। केवल एक या दो राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अपने यहां राज्य जीएसटी विधेयक को अगले माह के आरंभ में पारित किये जाने की संभावना है।

जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18 एवं 19 मई, 2017 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में होगी। केन्द्र सरकार ने पहले ही यह जानकारी दे दी है कि जीएसटी को 01 जुलाई, 2017 से लागू किया जाएगा।

वीके/आरआरएस/एस-1267

(Release ID: 1489276) Visitor Counter : 10

